न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलासर (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का बरेप

बहक श्री रसीद
पुत्र श्री कमरूदीन
जाति लौहार नि. बरेप

मुकदमा नं. 32 /2018

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम बरेप खसरा नम्बर 587 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म बं-4 (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री रसीद पुत्र श्री कमरूदीन जाति लौहार निवासी बरेप (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ लगाकर कर अतिकमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी का नोटिस तामील हुआ प्राप्त अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बरेप ख.न. 587 रकबा 0.16 है. किस्म बं-4 पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ लगाकर कर अतिकमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिकमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 12 प्रति हैक्टर का 50 गुणा रूपया 96/- (रूपये छियानवे रूपये) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का बरेप भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2018-19
[stamp] ... के पृष्ठ सं. 61
... 96/- रु० की
... गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner